



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

Regional Office, Lucknow

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

Under Ministry of Education, Govt. of India

Website - <https://rolucknow.kvs.gov.in/>

13 March/ 13:07



पत्रांक 26230(पेंशन अदालत)/2022-23/क्षे.का. लखनऊ/ 43897-13957

दिनांक -13.03.2023
(ई-मेल द्वारा)

प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
लखनऊ संभाग

विषय - माह मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली देशव्यापी पेंशन अदालत के संबंध में।

संदर्भ - के.वि.सं. (मु0), नई दिल्ली का पत्रांक F.110230(Misc.)2022-KVS(HQ)/P&I/2144 दिनांक 10.03.2023
(प्रति संलग्न)


महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली से प्राप्त उक्त संदर्भित पत्र संलग्न करते हुए सूचित किया जाता है कि पेंशनभोगियों की शिकायतों का, वर्तमान पेंशन नीति/ नियम /दिशा-निर्देशों की सीमा के अन्तर्गत तुरंत निपटान करने के लिए माह मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह में देशव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन (ऑनलाइन माध्यम से) किया जाना है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय का संलग्न पत्र एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी सूचना/Notice (संलग्न) अपने विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें एवं विद्यालय के पेंशनभोगियों के मध्य साझा करें, जिससे वे अपनी शिकायत, यदि कोई हो, संलग्न प्रपत्र में भरकर, आवश्यक दस्तावेजों सहित ई-मेल pensionadalatkvsrolko@gmail.com में दिनांक 20.03.2023 तक प्रेषित कर सकें / शिकायत यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली स्तर से संबंधित हो तो दिनांक 15.03.2023 तक प्रेषित कर सकें।


संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय


(देवेन्द्र कुमार द्विवेदी)
उपायुक्त

प्रतिलिपि -

1. सहायक आयुक्त, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना (Notice) को इस कार्यालय की वेबसाइट पर "Announcement" शीर्ष के अन्तर्गत अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी वित्त अनुभाग, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त

वेबसाइट पर
upload कर
चि.सं. 14/03/23